राज्य विधानमंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1952 ई0)

STATE LEGISLATURE (OFFICERS' SALARIES AND ALLOWANCES) ACT, 1952

(U.P. Act No. 11 of 1952)

उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)[1] अधिनियम, 1952 ई०

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1952]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1961
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1969
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 32, 1970
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1972
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1990
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1997
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1998
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2004
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2005
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 2010

[भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 5 जून, 1952 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 7 जून, 1952 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था के निमित्त,

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 186 में यह व्यवस्था की गयी है कि "विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप–सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे क्रमशः राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे"

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भते) अधिनियम, 1952'' होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति] का वेतन

2–[2][(1)] उत्तर प्रदेश विधान सभा के [3][अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के [3][सभापति और उप सभापति] को [4][बारह हजार रुपये मासिक] का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 ई० के अनुसार लिये जाने वाले आयकर सम्मिलित नहीं होंगे।

[2][(2) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आयकर से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन उसके सम्बन्ध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।]

3–[5][** ** **]

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु उ0 प्र0 गजट असाधारण दिनांक 19 मई, 1952 देखें।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1969 की धारा 2 द्वारा पुर्नसंख्याकित एवं उपधारा (2) बढ़ायी गयी।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1972 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 2010 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1972 की धारा 3 द्वारा हटाया गया।

सभापति, [2][अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति] के लिये बिना किराये के सुसज्जित निवास स्थान

4– [1][(1)] [2][अध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, उपाध्यक्ष] प्रत्येक को लखनऊ में उनकी पदावधि पर्यन्त [3][x x x] बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी हकदार होगा। उक्त निवास स्थान का रख–रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।

[4][(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन निवास स्थान की व्यवस्था की गई हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात ऐसे निवास स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस निवास स्थान का कब्जा ले सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।]

[5][(3) अध्यक्ष और सभापति प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख–रखाव के लिये यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति के रूप मे उनके निर्वाचन के दिनांक से [6][पन्द्रह हजार रुपये] प्रति मास पाने का अधिकार होगा।]

[7][**स्पष्टीकरण :–** इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में में रख–रखाव के अन्तर्गत स्थानीय कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और सौ रुपये प्रति माह की अधिकतर सीमा के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत विद्युत ड्यूटी भी है) विद्युत की व्यवस्था करना भी है।]

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

4–(क) [8][(1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को समय पर निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्धन के अधीन किसी टाईप–छः आवास को या ऐसे आवास को जो किसी समय किसी अध्यक्ष या किसी सभापति या किसी उपाध्यक्ष या किसी उपसभापति के अध्यासन में था, अध्यक्ष–आवास, या सभापति–आवास या उपाध्यक्ष–आवास या उपसभापति–आवास के रूप में विनिर्दष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष आवास या सभापति आवास या उपाध्यक्ष–आवास या उपसभापति–आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई

---

1. धारा 4 उक्त धारा की उपधारा (1) के रूप में अधिनियम संख्या 5, 1990 की धारा 2 द्वारा पुर्नसंख्याकित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1998 की धारा 13 (क) द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1990 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1998 की धारा 13(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 2010 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1969 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1997 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखत नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की, उस पर तामिल किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

[अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और उपाध्यक्ष] के लिये सरकारी परिवहन

5–[1][अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति] के लिए उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जायगी जिनका क्रय और रख–रखाव, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से होगा ।

5–(क) [2][***]

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति] के लिये यात्रा भत्ता

6–[1][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, और उप–सभापति] को सार्वजनिक कार्य के लिए यात्रा के निमित्त ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से अवधारित की जायं, यात्रिक और दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 5, 1937 का निरसन

7–यू० पी० लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलेरीज) ऐक्ट, 1937, निरस्त होगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नियम बनाने की शक्ति

8–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए [3][धारा 2 से धारा 4–क तक उल्लिखित करों] को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

[4][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्र में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमो के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकुल प्रभाव न डालेगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 32, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 32, 1970 की धारा 3 द्वारा हटाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1969 की धारा 6(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1969 की धारा 6(2) द्वारा बढ़ाया गया।